सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम)

समेकित क्लस्टर कार्य योजना

विषय सूची

1.0	संदर्भ	3
2.0	आईसीएपी की अवधारणा और औचित्यों	4
3.0	आईसीएपी तैयार करने के लिए चरण–दर–चरण प्रक्रिया	6
4.0	चरण 1: क्लस्टर का चयन	8
5.0	चरण 2: प्लानिंग एरिया का निर्धारण एवं अधिसूचना	10
6.0	चरण 3: क्लस्टर प्रोफाइल	11
7.0	चरण 4: कमियों का विश्लेषण एवं जरूरतों का निर्धारण	13
8.0	चरण 5: मिशन घटकों का निर्धारण और उनका ब्यौरा – स्टेकहोल्डरों से परामर्श	13
9.0	चरण 6: योजना में अभिसरण	14
10.0	चरण 7: निवेश और चरण	19
11.0	चरण 8: सीजीएफ आकलन तैयार करना	19
12.0	चरण 9: क्रियान्वयन संबंधी कार्यनीति	19
13.0	चरण 10: संचालन एवं रखरखाव संबंधी कार्यनीति	20
14.0	चरण 11: ग्राम सभा से संकल्प पारित कराना	21
15.0	चरण 12: ग्रामीण विकास मंत्रालय को आईसीएपी प्रस्तुत किया जाना	21
16.0	चरण 13: अनुमोदित डीपीआर की लागत के आधार पर आईसीएपी में संशोधन	21
17.0	चरण 14: प्रत्येक 5 वर्ष पर आईसीएपी की पुनरावृत्ति	22
अनुबंध 1 : आईसीएपी के स्थानिक आयोजना घटक की प्रक्रिया		23

सारणी-सूची

सारणी 1:	क्लस्टर की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	11
सारणी 2:	क्लस्टर की सामाजिक प्रोफाइल	11
सारणी 3:	क्लस्टर की आर्थिक प्रोफाइल	12
सारणी 4:	क्लस्टर की सांस्कृतिक प्रोफाइल	12
सारणी 5:	क्लस्टर की प्रशासनिक प्रोफाइल	12
सारणी 6:	घटक प्रोफाइल	14
सारणी 7:	क्लस्टर के लिए कमियों का विश्लेषण एवं जरूरतों का निर्धारण	15
सारणी 8:	रुर्बन क्लस्टर में निहित वांछित घटकों के लिए संभावित अभिसरण हेतु केंद्रीय क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की निर्देशात्मक सूची	16
सारणी 9:	क्लस्टर के लिए निवेश चरण	19

आरेख-सूची

आरेख 1:	आईसीएपी के घटक	5
आरेख 2:	आईसीएपी के लिए चरण–दर–चरण प्रक्रिया	6
आरेख 3:	आईसीएपी तैयार करने और ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुति के लिए समय सीमा	7
आरेख 4:	राज्य में गैर जनजातीय रुर्बन क्लस्टरों के निर्धारण की प्रक्रिया – ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले उपाय	9
आरेख 5:	राज्य में गैर जनजातीय रुर्बन क्लस्टरों के निर्धारण की प्रक्रिया	9
आरेख 6:	राज्य में जनजातीय रुर्बन क्लस्टरों के निर्धारण की प्रक्रिया	10
आरेख 7:	स्थानिक आयोजना की चरण दर चरण प्रक्रिया	23

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)

क्रियान्वयन संबंधी फ्रेमवर्क – समेकित क्लस्टर कार्य योजना की तैयारी

1.0 संदर्भ

राष्ट्रीय रुर्बन मिशन का उद्देश्य अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के क्लस्टर को 'रुर्बन गांवों' के रूप में विकसित करना है।

इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को बनाए रखना, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना और योजनाबद्ध तरीके से रुर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है। अगले पांच वर्षों में, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 300 ऐसे रुर्बन क्लस्टरों का विकास किया जाएगा जिनमें विकास की क्षमता विद्यमान हो, इससे क्षेत्र के समग्र विकास की शुरूआत होगी।

इस मिशन के तहत प्रत्येक रुर्बन क्लस्टर को एक ऐसी परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें आर्थिक कार्यकलापों से जुड़ा प्रशिक्षण, कौशल और स्थानीय उद्यमशीलता विकास संबंधी घटक शामिल होंगे तथा यह मिशन आवश्यक आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। इन परियोजनाओं को समेकित करके परियोजना घटकों के कार्यान्वयन में अभिसरण बिठाते हुए तीन वर्ष की निर्धारित समय सीमा में कार्यान्वित किया जाएगा। इसके बाद 10 वर्ष की अवधि तक संचालन और रख–रखाव किया जाएगा।

रुर्बन क्लस्टर के विकास को दिशा देने के लिए यह मिशन प्रत्येक रुर्बन क्लस्टर के लिए एक समेकित क्लस्टर कार्य योजना (आईसीएपी) तैयार करने की सिफारिश करता है। क्लस्टर के लिए आईसीएपी में निम्नलिखित दो घटक होंगे अर्थात्

क. सामाजिक–आर्थिक एवं इनफ्रास्ट्रक्चर आयोजना घटक

ख. स्थानिक आयोजना घटक

ये दोनों घटक आईसीएपी के अभिन्नव अंग होंगे और ये साथ–साथ चलेंगे।

इस आईसीएपी के सामाजिक–आर्थिक एवं इनफ्रास्ट्रक्चर आयोजना घटक के तहत इस फ्रेमवर्क में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार क्लस्टर में क्लस्टर की सामाजिक–आर्थिक एवं अवसंरचना संबंधी जरूरतों का निर्धारण, विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण और परियोजना स्तर पर पहलों को क्रियान्वित किया जाएगा। इस सामाजिक–आर्थिक और अवसंरचना आयोजना कार्य में लगभग चार महीने का समय लगेगा और मिशन के अगले चरणों यथा – अभिसरणयुक्त परियोजना घटकों का निर्धारण, वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं और आवश्यकपूरक वित्तपोषण आदि के मूल्यांकन के लिए आधार तैयार होगा।

आईसीएपी के स्थानिक आयोजन घटक की शुरूआत रुर्बन क्लस्टर के चयन और संरेखण के बाद की जाएगी और इसकी प्रक्रिया राज्य में लागू स्टेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट इसी तरह की केंद्रीय अथवा राज्य सांविधि में दिए गए आयोजना संबंधी मानकों के अनुसार चलाई जाएगी। स्थानिक योजनाओं की तैयारी संबंधी प्रक्रिया का क्रियान्वयन राज्य अधिनियम के अनुसार दीर्घावधि में किया जाएगा। आईसीएपी का स्थानिक आयोजना घटक ऐसे रुर्बन क्लस्टर के लिए एक व्यापक विकास आयोजना का रूप ले लेगा जिसमें इसके लिए उपयुक्त निर्माण एवं आयोजना विनियमन और प्रवर्तन तंत्र शुरू करने के साथ–साथ आयोजना संबंधी मानकों के अनुसार सुव्यवस्थित लेआउट दिया गया हो।

रुर्बन क्लस्टर के लिए आईसीएपी की तैयारी हेतु कार्यान्वयन संबंधी फ्रेमवर्क निम्नलिखित भागों में प्रस्तुत किया गया है:

2.0 आईसीएपी की अवधारणा और औचित्य

2.1 आईसीएपी क्या है?

समेकित क्लस्टर कार्य योजना (आईसीएपी) एक ऐसा मुख्य दस्तावेज होगा जिसमें क्लस्टर की जरूरतों का उल्लेख करने वाले बेसलाइन अध्ययनों और इन जरूरतों को पूरा करने तथा क्लस्टर की क्षमता को बढ़ाने वाली प्रमुख पहलों को शामिल किया जाएगा। क्लस्टर के लिए तैयार की गई आईसीएपी में निम्नलिखित का उल्लेख होगाः

i. क्लस्टर में निर्धारित की गई प्रत्येक ग्राम सभा के विजन को समाविष्ट करते हुए उस क्लस्टर के लिए कार्यनीति।

ii. रुर्बन मिशन के अंतर्गत क्लस्टर के लिए अभीष्ट परिणाम।

iii. ऐसे संसाधन जिनमें विभिन्नं केंद्रीय क्षेत्र की, केंद्रीय प्रायोजित और राज्य् क्षेत्र की योजनाओं के तहत अभिसरण बिठाया जाना है।

iv. क्लस्टर के लिए अपेक्षित आवश्यक पूरक वित्तपोषण (सीजीएफ)।

v. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईसीएपी में क्लस्टर क्षेत्रों का भलीभांति वर्णन किया जाएगा और ये क्लस्टर राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों द्वारा विधिवत अधिसूचित किए जाने वाले आयोजना मानदंडों (जैसा कि राज्य नगर और प्रदेश आयोजना अधिनियमों/केंद्र या राज्य के इसी प्रकार के अधिनियमों में निर्धारित हैं) पर आधारित सुनियोजित लेआउट के हिसाब से बनाए गए सुव्यवस्थित क्षेत्र होंगे। इन योजनाओं को अंत में जिला प्लानों/मास्टर प्लानों, जैसा भी मामला हो, के साथ जोड़ दिया जाएगा।

2.2 आईसीएपी की जरूरत क्यों है?

क्लस्टर की जरूरतों के वैज्ञानिक आकलन के लिए और क्लस्टर के लिए तैयार किए जाने वाले आवश्यक घटकों के निर्धारण के लिए आईसीएपी की जरूरत है। आईसीएपी क्लस्टर के विकास में मार्गदर्शन करेगा, इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से क्लस्टर और पहलों के लिए दूरगामी विजन शामिल होगा, सरकारी योजनाओं के अभिसरण और कार्यान्वयन संबंधी योजना तथा क्लस्टर में दी गई सुविधाओं के संचालन एवं रख–रखाव के लिए एक कार्यनीति की रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्लस्टर के लिए सीजीएफ का निर्धारण आईसीएपी में दिए गए अनुमान के आधार पर किया जाएगा।

आईसीएपी का स्थानिक आयोजना घटक यह सुनिश्चित करेगा कि रुर्बन क्लस्टर सुव्यवस्थित रूपरेखा के साथ–साथ दीर्घावधि योजना तैयार करेगा और उसमें शहरी क्षेत्रों जैसी निर्माण एवं आयोजना विनियमन एवं प्रवर्तन तंत्र शामिल होगा।

2.3 आईसीएपी कौन तैयार करेगा?

नामित राज्य तकनीकी सहायता एजेंसियों (आईसीएपी तैयार करने में राज्य सरकारों की मदद करने के लिए मंत्रालय द्वारा नामित प्रतिष्ठित संस्थाएं) से प्राप्त जानकारियों के आधार पर राज्य नोडल एजेंसी प्रत्येक क्लस्टर के लिए आईसीएपी तैयार करेगी। राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार तैयार की गई आईसीएपी का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित किए गए विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाएगा।

राज्य सरकार जिला कलक्ट्रों/जिला परिषदों और संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के साथ गहन परामर्श करके आईसीएपी तैयार करेगी और इसमें सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों की भागीदारी और उनका स्वामित्व सुनिश्चित करेगी।

2.4 आईसीएपी किस प्रकार तैयार की जाएगी?

आईसीएपी चरण–दर–चरण प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए तैयार की जाएगी जिसका निम्नलिखित खंड में वर्णन किया गया है। संबंधित दस्तावेजों के साथ आईसीएपी के दो घटक साथ–साथ तैयार किए जाएंगे। सामाजिक–आर्थिक तथा इनफ्रास्ट्रक्चर आयोजना घटकों और स्थानिक घटक के बीच अभिसरण संबंधी कुछ मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:

- सहमति के साथ–साथ संबंधित अधिनियम के तहत आयोजना क्षेत्रों के रूप में इन क्लस्टरों को अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार की सहमति के बाद क्लस्टर चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि क्लस्टर संबंधी उपर्युक्त निर्माण एवं आयोजना विनियमन तैयार किए जा सकें।
- संबंधित अधिनियमों के अनुसार आयोजना क्षेत्र के रूप में क्लस्टर घोषित करने वाली

अधिसूचना के साथ आईसीएपी से संबंधित सामाजिक–आर्थिक एवं अवसंरचनागत आयोजना घटक को मिशन द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

- आईसीएपी के सामाजिक आर्थिक एवं अवसंरचनागत आयोजना घटक के निष्कर्षों और संबंधित सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए स्थानिक आयोजना घटक तैयार किया जाएगा।

आरेख 9: आईसीएपी के घटक

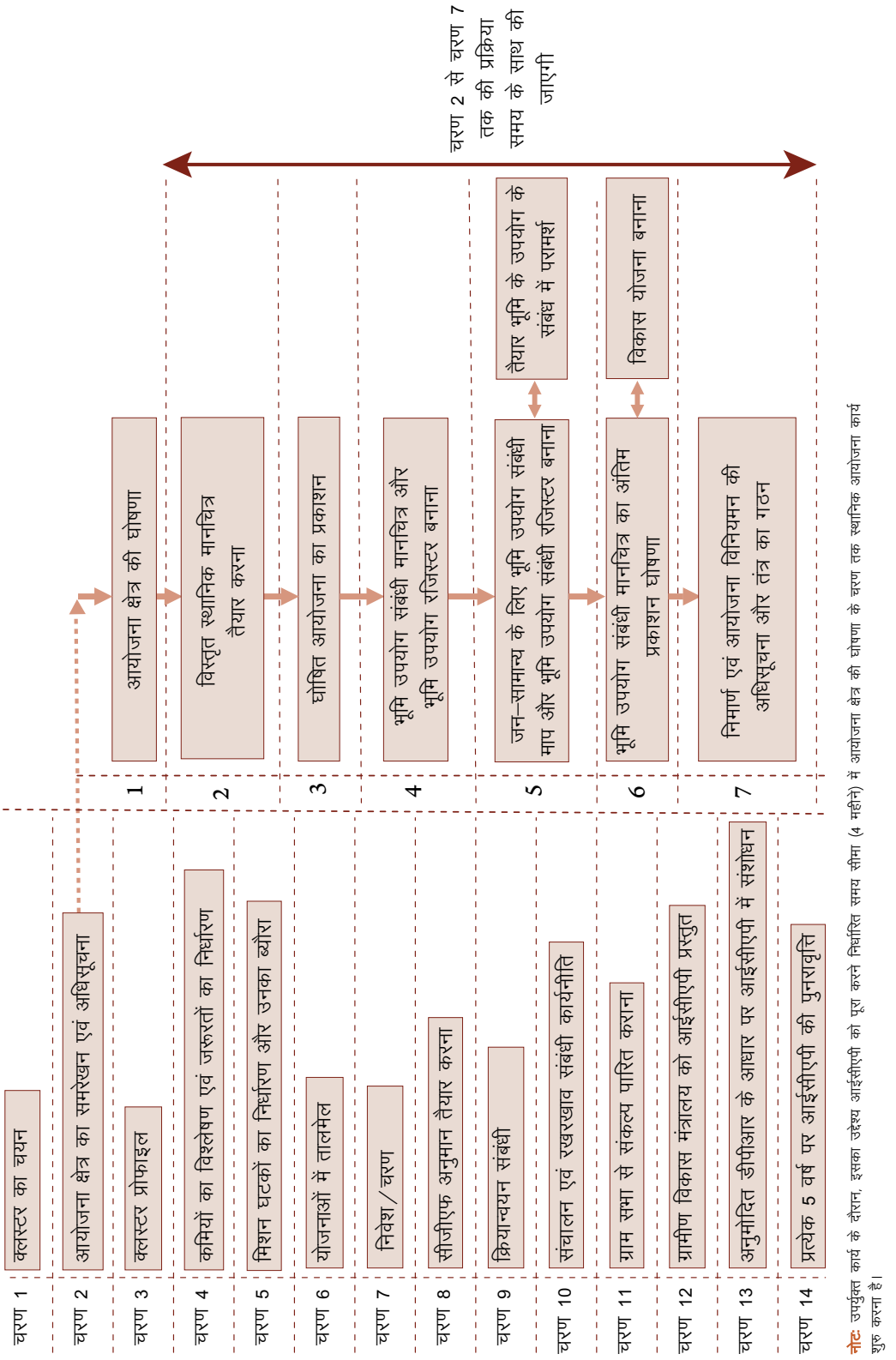

नोट: उपर्युक्त कार्य के दौरान, इसका उद्देश्य आईसीएपी को पूरा करने निर्धारित समय सीमा (4 महीने) में आयोजना क्षेत्र की घोषणा के चरण तक स्थानिक आयोजना कार्य शुरू करना है।

3.0 आईसीएपी तैयार करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया

आईसीएपी तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरण–दर–चरण प्रक्रिया का अनुपालन किया जा सकता है:

आरेख २: आईसीएपी तैयार करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

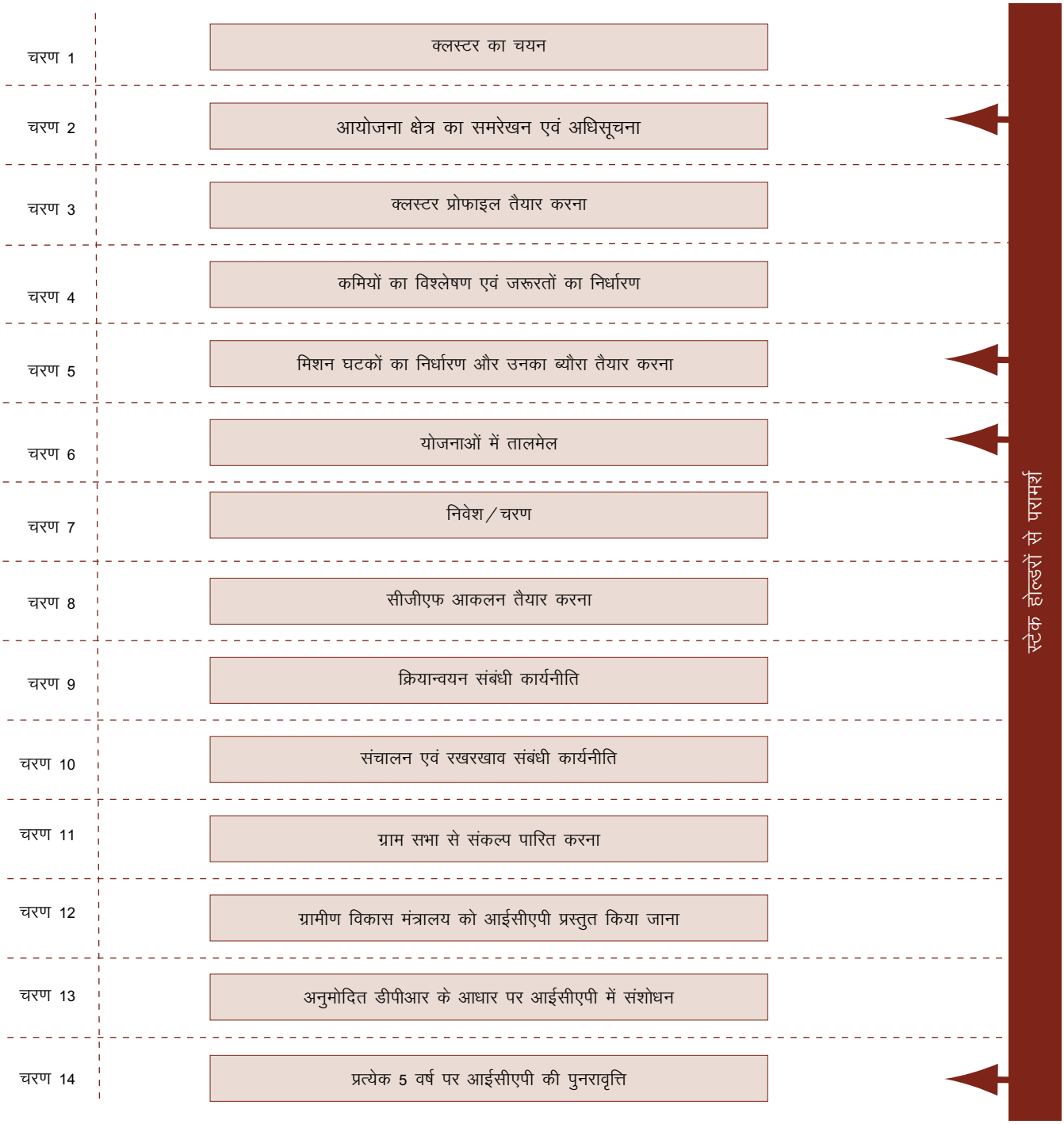

नोटः उपर्युक्त कार्य के दौरान, इसका उद्देश्य आईसीएपी को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा (4 महीने) में आयोजना क्षेत्र की घोषणा के चरण तक स्थानिक आयोजना कार्य शुरू करना है।

आरेख ३: इंफ्रा आईसीएपी तैयार करने और ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा

समय सीमा		एम–1				एम–2				एम–3				एम–4			
		डब्लू1	डब्लू2	डब्लू3	डब्लू4	डब्लू1	डब्लू2	डब्लू3	डब्लू4	डब्लू1	डब्लू2	डब्लू3	डब्लू4	डब्लू1	डब्लू2	डब्लू3	डब्लू4
चरण 1	क्लस्टर का चयन																
चरण 2	क्लस्टर प्रोफाइल तैयार करना																
चरण 3	प्लानिंग एरिया का निर्धारण एवं अधिसूचना																
						एससी											
चरण 4	कमियों का विश्लेषण एवं जरूरतों का निर्धारण																
चरण 5	मिशन घटकों का निर्धारण और उनका ब्यौरा तैयार करना																
												एससी					
चरण 6	योजना अभिसरण																
														एससी			
चरण 7	निवेश चरण																
चरण 8	सीजीएफ आकलन तैयार करना																
चरण 9	क्रियान्वयन संबंधी कार्यनीति																
चरण 10	संचालन एवं रख रखाव संबंधी कार्यनीति																
चरण 11	ग्राम सभा के संकल्प पारित करना																
चरण 12	ग्रामीण विकास मंत्रालय को आईसीएपी प्रस्तुत किया जाना और अनुमोदन लेना																
		स्टेक होल्डरों से परामर्श (एससी)															

4.0 चरण 1 : क्लस्टर का चयन

क्लस्टर चयन की प्रक्रिया में क्रियान्वयन संबंधी फ्रेमवर्क के खंड 12.0 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। इसका वर्णन फिर से नीचे विस्तार से किया गया है।

4.1 रुर्बन क्लमस्टर' मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 आबादी वाले तथा मरूभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी वाले भौगोलिक रूप से एक–दूसरे के समीप बसे गांवों का एक क्लस्टर होगा। जहां तक व्यवहार्य हो सके, गांव का क्लस्टर ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक अभिसरण की इकाई होगी और यह प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किसी एक ब्लॉक/तहसील के अधीन होगा।

4.2 क्लस्टर चयन की प्रक्रिया मंत्रालय और राज्य निम्नलिखित ब्यौरों के आधार पर करेंगे। मंत्रालय रुर्बन क्लस्टरों के लिए संभाव्य स्थानों (उप–जिलों) का निर्धारण करेंगे और राज्य रुर्बन क्लस्टर तैयार करने के लिए उप–जिलों में सटे हुए गांवों के सेट का निर्धारण करेंगे और वित्त पोषण के लिए इन क्लस्टरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4.3 एसपीएमआरएम में क्लस्टरों की दो श्रेणियां होंगीः गैर–जनजातीय और जनजातीय तथा इन दोनों श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए चयन की प्रक्रिया अलग–अलग होगी।

4.3.1 **गैर–जनजातीय क्लस्टरः** गैर–जनजातीय क्लस्टरों के चयन के लिए मंत्रालय प्रत्येक राज्य को उन 10 शीर्ष उप जिलों की सूची उपलब्ध कराएगा, जिनमें क्लस्टरों का निर्धारण किया जा सके। मंत्रालय इन उप–जिलों का चयन (i) दशक के दौरान ग्रामीण आबादी में हुई वृद्धि (ii) दशक के दौरान गैर–कृषि कार्यों की भागीदारी में हुई वृद्धि (iii) आर्थिक क्लस्टरों की उपस्थिति (iv) पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के स्थानों की उपस्थिति और (v) परिवहन गलियारों से नजदीकी जैसे पैरामीटरों के आधार पर करेगा। प्रत्येक पैरामीटर को उपयुक्त वेटेज दी गई है।

इसके बाद मंत्रालय द्वारा इस प्रकार निर्धारित इन उप–जिलों में राज्य सरकारें क्लस्टरों का चयन कर सकती हैं और ऐसा करते समय आगे दर्शाए गए निष्पादन पैरामीटरों को शामिल कर सकती हैं:

i. दशक के दौरान ग्रामीण आबादी में वृद्धि।

ii. भूमि की कीमतों में वृद्धि।

iii. दशक के दौरान गैर–कृषि कार्यों की भागीदारी में वृद्धि।

iv. माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत।

v. प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक खाते वाले परिवारों का प्रतिशत।

vi. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में निष्पादन।

vii. ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू की गई सुशासन पहलें (ऐसे किसी अन्य कारक को भी शामिल किया जा सकता है, जिसे राज्य संगत समझे)।

अन्य कोई घटक जिसे राज्य उपर्युक्त समझता हो उसे भी शामिल किया जा सकता है। तथापि पहले चार पैरामीटरों को कुल 80% का वेटेज दिया जाएगा और राज्यों को अंतिम तीन पैरामीटरों का चयन करने की छूट होगी बशर्ते कि यह कुल 20% से अधिक न हों।

रुर्बन क्लस्टर का चयन करते समय राज्य किसी ऐसे बड़े गाँव/ग्राम पंचायत का चयन कर सकता है, जो क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के साथ विकास के केंद्र हों और क्षेत्र में आर्थिक बदलाव में अग्रणी भूमिका निभा सकते हों। ये विकास केंद्र ब्लॉक मुख्यालय, जनगणना टाउन (ग्राम पंचायतों के प्रशासनाधीन) या उस क्लस्ट्र में सबसे बड़ा गांव हो सकते हैं। इसके बाद निर्धारित विकास केंद्र के आसपास 5–10 कि.मी. की परिधि (या जनसंख्या घनत्व और क्षेत्र के भूगोल के अनुसार उपयुक्त परिधि) में भौगोलिक रूप से एक–दूसरे के नजदीक स्थित गाँवों का निर्धारण करके क्लस्टरों का गठन किया जा सकता है।

4.3.2 **जनजातीय क्लस्टरः** जनजातीय क्लस्टरों के निर्धारण के लिए मंत्रालय अनुसूचित जनजातीय आबादी के आधार पर देश के शीर्ष 100 जिलों में पड़ने वाले शीर्ष उप जिलों का चयन करेगा।

आरेख ४: राज्य में गैर-जनजातीय रुर्बन क्लस्टरों के निर्धारण की प्रक्रिया-ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले उपाय

राज्य में गैर-जनजातीय रुर्बन क्लस्टरों का निर्धारण

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले उपाय

चरण - १. गैर-जनजातीय एवं जनजातीय जिलों को अलग-अलग करना

जनगणना 2011 से देश में शीर्ष के 100 जनजातीय जिलों का निर्धारण करना एवं राज्य में गैर–जनजातीय और जनजातीय जिलों को अलग–अलग करना

↓

चरण - २. राज्य में गैर-जनजातीय जिलों से शीर्ष के ५० उप-जिलों का निर्धारण करना

ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि पर आधारित

↓

चरण - ३. राज्य में संभावित उपजिलों का निर्धारण करने के लिए शीर्ष ५० उपजिलों की श्रेणी

ग्रामीण जनसंख्या में दशक के दौरान वृद्धि

गैर कृषि कार्य भागीदारी में दशक के दौरान वृद्धि

जिलों में मौजूद आर्थिक क्लस्टर

जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन एवं तीर्थ स्थल

परिवहन कॉरिडोरो में निकटता

आरेख- ५: राज्य में गैर-जनजातीय क्लस्टरों के निर्धारण की प्रक्रिया

राज्य में गैर-जनजातीय रुर्बन क्लस्टरों का निर्धारण

राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय

गैर–जनजातीय क्लस्टरों की श्रेणी एवं चयन

चरण - १. निर्धारित उप-जिलों में रुर्बन क्लस्टरों का गठन करना

बड़े व्यवस्थित गांवों के साथ लगे हुए गांवों का निर्धारण करना और निर्धारित उप–जिलों में रुर्बन क्लस्टर का गठन करने के लिए जनगणना शहर

↓

चरण - २. शीर्ष रुर्बन क्लस्टरों की रैंकिंग

ग्रामीण जनसंख्या में दशक के दौरान वृद्धि

भूमि की गुणवत्ता में वृद्धि

गैर–कृषि कार्य भागीदारी में दशक के दौरान वृद्धि

माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता रखने वाले परिवारों का प्रतिशत

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में निष्पादन

ग्राम पंचायतों द्वारा सुशासन पहलें

इन उप–जिलों का चयन (i) दशक के दौरान जनजातीय आबादी में हुई वृद्धि (ii) मौजूदा जनजातीय साक्षरता दर (iii) दशक के दौरान गैर–कृषि कार्यों की भागीदारी में हुई वृद्धि (iv) दशक के दौरान ग्रामीण आबादी में हुई वृद्धि और (v) आर्थिक क्लस्टरों की उपस्थिति जैसे पैरामीटरों के आधार पर किया जाएगा। उप जिलों का चयन करते समय प्रत्येक पैरामीटर को उपयुक्त महत्व दिया गया है।

इसके बाद मंत्रालय द्वारा इस प्रकार निर्धारित इन उप–जिलों में राज्य सरकारें क्लस्टरों का चयन कर सकती हैं और ऐसा करते समय आगे दर्शाए गए निष्पादन पैरामीटरों को शामिल कर सकती हैं:

i. दशक के दौरान जनजातीय आबादी में हुई वृद्धि।

ii. जनजातीय साक्षरता दरों में वृद्धि।

iii. दशक के दौरान गैर–कृषि कामगारों की भागीदारी में वृद्धि।

अन्य कोई घटक जिसे राज्य उपर्युक्त समझता हो उसे उपर्युक्त तीन पैरामीटरों के अतिरिक्त शामिल किया जा

आरेख ६: राज्य में जनजातीय क्लस्टरों के निर्धारण की प्रक्रिया

राज्य में जनजातीय क्लस्टरों के निर्धारण की प्रक्रिया	
◗ जनजातीय क्लस्टरों की रैकिंग के लिए उप–जिला एवं क्लस्टर स्तर पर अपनाए गए मानदंड गैर जनजातीय क्लस्टरों के लिए अपनाए गए मानदंडों से भिन्न होंगें ◗ ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य में शीर्ष जनजातीय उप–जिलों का चयन करेगा जिसमें से राज्य सुझाई गई प्रणाली के अनुसार जनजातीय क्लस्टरों को चुन सकता है	
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शीर्ष के जनजातीय उप जिलों का चयन	**राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्लस्टरों का चयन**
जनजातीय जनसंख्या में दशक के दौरान वृद्धि	जनजातीय जनसंख्या में दशक के दौरान वृद्धि
जनजातीय साक्षरता दर	जनजातीय साक्षरता दर में वृद्धि
गैर–कृषि कार्य भागीदारी दर में दशक के दौरान वृद्धि	गैर–कृषि कार्य भागीदारी दर में दशक के दौरान वृद्धि
ग्रामीण जनसंख्या में दशक के दौरान वृद्धि	
जिले में मौजूद आर्थिक क्लस्टर	

सकता है, बशर्ते कि उपर्युक्त तीन पैरामीटरों का वेटेज 80 प्रतिशत से कम न हो।

रुर्बन क्लस्टर का चयन करते समय, उपर्युक्त खंड 4.3.2 में उल्लिखित गुणवत्तापरक पहलुओं के अलावा, राज्य जन–जातीय क्षेत्रों और गांव पर विशेष जोर देगा ताकि जन–जातीय क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

5.0 चरण 2 : प्लानिंग एरिया का निर्धारण एवं अधिसूचना

5.1 **प्लानिंग एरिया का निर्धारण:** संबंधित राज्य/सं.रा.क्षेत्र संविधियों में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए क्लस्टर सीमाओं का स्पष्ट रूप से निर्धारण किए जाने की जरूरत है। इनके लिए निम्नलिखित सामान्य चरणों का अनुपालन किए जाने की जरूरत है:

i. प्लानिंग एरिया को विशेष रूप से जीआईएस कॉर्डिनेट्स वाले मानचित्र पर 1:8000 के स्केल पर दर्शाए जाने की जरूरत है।

ii. जहां तक संभव हो सके, प्लानिंग एरिया में पूरे प्लॉट की संख्याओं (सर्वे संख्याक) को शामिल किया जाएगा।

iii. राज्य में आयोजना प्राधिकरणों के परामर्श से किसी एक प्लानिंग एरिया में दो या दो से अधिक क्लस्टरों को सम्मिलित किया जा सकता है।

5.2 आयोजना क्षेत्रों की अधिसूचना: क्लस्टर के लिए इस प्रकार निर्धारित किए गए प्लानिंग एरिया में अधिसूचना की विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करने की जरूरत होगी:

5.2.1 प्लानिंग एरिया की घोषणा को व्यापक प्रसार वाले कम–से–कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और साथ ही प्रमुख स्थानों, सरकारी कार्यालयों, स्थानीय प्राधिकरणों तथा प्लांनिंग एरिया के दायरे में स्थित सार्वजनिक स्थलों में सार्वजनिक सूचना के रूप में इस घोषणा को चिपकाया जाएगा।

इसे आईसीएपी के स्थानीय आयोजना घटक की शुरूआत के बाद किया जाएगा। यह प्रक्रिया स्टेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट/इसी तरह की केंद्रीय अथवा राज्य संविधि जो भी राज्य में लागू हो, में दिए गए आयोजना मानकों के अनुसार शुरू की जाएगी। मॉडल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के अनुसार, आईसीएपी कार्य के स्थानिक आयोजना घटक के लिए आवश्यक जिन संकेतिक चरणों की आवश्यकता है वे आईसीएपी के दिशा–निर्देशों के अनुबंध 1 में दिए गए हैं।

तथापि आईसीएपी के सामाजिक आर्थिक एवं अवसंरचनागत आयोजना घटक में इसका उद्देश्य आईसीएपी के स्थानिक आयोजना घटक को शुरू करना है और इस प्रकार केवल आयोजना क्षेत्र के रूप में रुर्बन क्लस्टर की अधिसूचना के चरण तक के उपायों को आईसीएपी को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने की जरुरत है।

6.0 चरण 3 : क्लस्टर प्रोफाइल

क्लस्टर के मौजूदा प्रोफाइल का वर्णन दो स्तर पर किए जाने की जरूरत है (1) सामान्य प्रोफाइल जिसमें जनसांख्यिकी, सामाजिक आर्थिक, प्रशासनिक प्रोफाइल शामिल हैं (2) घटक प्रोफाइल।

6.1 सामान्य प्रोफाइल

सामान्य प्रोफाइल के तहत क्लस्टर में आने वाली ग्राम पंचायतों का जनसांख्यिकी ब्यौरा, सामाजिक आर्थिक ब्यौरा, सांस्कृतिक ब्यौरा और प्रशासनिक ब्यौरा दिए जाने की जरूरत होती है। इनमें से प्रत्येक का वर्णन नीचे किया गया है।

क. जनसांख्यिकी

क्लस्टर की योजना तैयार करते समय महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वप्रथम क्लस्टर में आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की जनसांख्यिकी विशेषता को समझा जाए। इससे क्लस्टर के लिए चुने गए प्रत्येक घटक की जनसांख्यिकी जरूरतों और प्रवृत्तियों के अनुसार बेहतर आयोजना और डिजाइनिंग करने में मदद मिलेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नलिखित ब्यौरे एकत्र किए जाएं जो कि नीचे दिए गए सारणी 1 के हिसाब से होंगे।

ख. सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक

क्लस्टर की बेहतर आयोजना के लिए यह महत्वपूर्ण है कि क्लस्टर में आने वाली ग्राम

सारणी १: क्लस्टर का जनसांख्यिकी प्रोफाइल

	ब्यौरा	जीपी–1	जीपी–2	जीपी–3	जीपी–एन	कुल
	मौजूदा					
1	कुल आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार)					
2	दस वर्षों में ग्रामीण आबादी में वृद्धि (%) (2001–2011)					
3	परिवार का आकार					(औसत)
4	लिंगानुपात					
5	आयु का ब्यौरा (आबादी के सबसे बड़े % के साथ)					
6	कुल भूभाग					
	कृषि के अधीन					
	वन के अधीन					
	अनुमानित परिदृश्य – 2020					
1	ग्रामीण आबादी					

स्रोतः भारत की जनगणना/भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्य सांख्यिकीय ब्यौरे।

सारणी २: क्लस्टर का सामाजिक प्रोफाइल

	ब्यौरे	जीपी–1	जीपी–2	जीपी–3	जीपी–एन	कुल
1	साक्षरता दर					
2	अ.जा. जनसंख्या					
3	अ.ज.जा. जनसंख्या					
4	शिक्षा के स्तर					
	हायर सेकेण्डरी और इससे ऊपर का प्रतिशत					
	सीनियर सेकेण्डरी और इससे ऊपर का प्रतिशत					
	प्राथमिक शिक्षा और इससे ऊपर का प्रतिशत					
5	विकलांग–जनसंख्या का प्रतिशत					
6	एकल महिलाओं का प्रतिशत					

स्रोतः एसईसीसी/भारत की जनगणना या राज्य सरकार के अन्य सांख्यिकीय ब्यौरे/अन्य विश्वसनीय गौण स्रोत।

पंचायतों की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को समझा जाए। इससे क्लस्टर की सबसे उपयुक्त जरूरतों का निर्धारण करने में और साथ ही क्लस्टर की छुपी हुई क्षमता, जिसका इस मिशन के अंतर्गत विकास किया जा सकता है या बढ़ावा दिया जा सकता है, का पता लगाने में मदद मिलेगी। क्लस्टर का सामाजिक प्रोफाइल तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नलिखित ब्यौरे एकत्र किए जाएं जो कि निम्नलिखित सारणी 2 के अनुसार होंगे।

उपर्युक्त सारणी में ऊपर दर्शाए गए संकेतकों में से प्रत्येक का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जा सकता है। इसी प्रकार, क्लस्टर का आर्थिक प्रोफाइल निम्नलिखित सारणी के अनुसार तैयार किया जा सकता है।

ग. प्रशासनिक

मिशन के सरल क्रियान्वयन के लिए और ब्लॉक एवं क्लस्टर स्तैर पर संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार करने, जैसा कि इस मिशन में परिकल्पना की गई है, के

सारणी 3: क्लस्टर का आर्थिक प्रोफाइल

	ब्यौर	जीपी–1	जीपी–2	जीपी–3	जीपी–एन	कुल
1	व्यावसायिक संरचना					
i.	कृषि एवं गैर–कृषि कार्यबल					
ii.	कार्यबल में महिलाओं का प्रतिशत					
iii.	उद्योग से संबंधित पेशा (उद्योग जिनसे अधिकांश कार्यबल जुड़े हैं)					
iv.	ग्राम पंचायत में अधिकांश कार्यबलों के लिए कार्यस्थल तक की औसत दूरी					
v.	कोई अन्य पारंपरिक या घरेलू उद्योग					
2.	एमएसएमई कलस्टर – ब्यौरा					
3.	एमएसएमई क्लस्टर की संख्या					
4.	एमएसएमई क्लस्टर का प्रकार					

स्रोतः एसईसीसी/भारत की जनगणना या राज्य सरकार के अन्य सांख्यिकीय ब्यौरे/अन्य विश्वसनीय गौण स्रोत।

उपर्युक्त सारणी में ऊपर दर्शाए गए संकेतकों में से प्रत्येक का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जा सकता है।

सारणी 4: क्लस्टर का सांस्कृतिक प्रोफाइल

	ब्यौरे	जीपी–1	जीपी–2	जीपी–3	जीपी–एन	जीपी–5
1.	बोली जाने वाली भाषाएं					
2.	धर्म (प्रत्येक धर्म के लोगों की आबादी का प्रतिशत)					
3.	जनजातियों के प्रकार					
4.	तीर्थस्थल केंद्र					
5.	पर्यटन केंद्र					
6.	स्मारक/धरोहर स्थल					

स्रोतः एसईसीसी/भारत की जनगणना/पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय/राज्य सरकार के अन्य सांख्यिकीय ब्यौरे/अन्य विश्वसनीय गौण स्रोत।

सारणी 5: क्लस्टर का प्रशासनिक प्रोफाइल

	ब्यौरे
1.	क्लस्टर में स्थित ग्राम पंचायतों की संख्या
2.	ब्लॉक मुख्यालयों की संख्या
3.	बीडीओ का नाम
4.	क्लस्टर की सबसे बड़ी बसावट से ब्लॉक मुख्यालयों की दूरी (किमी. में)
5.	एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं ◈ जलापूर्ति एवं स्वच्छता ◈ गांव की गलियां और नालियां ◈ अन्य

लिए क्ल स्टर के प्रशासनिक प्रोफाइल को जानना महत्वपूर्ण है। क्लस्टर का प्रशासनिक प्रोफाइल तैयार करने के लिए निम्नलिखित सारणी के अनुसार निम्नलिखित ब्यौरे एकत्र किए जाएं।

6.2 **घटक प्रोफाइल**

क्लस्टर के लिए आदर्श घटकों के रूप में 14 अभीष्ट घटकों की सूची बनाई गई है तथापि, राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे क्लस्टर के विकास के लिए आवश्यक किसी अन्य संबद्ध घटक का भी निर्धारण कर सकते हैं। प्रत्येक क्लस्टर में वांछित घटकों के रूप में निम्निलिखित घटकों की परिकल्पना की गई है, ताकि नागरिक केंद्रित सेवाओं/ई–ग्राम संपर्कता की इलैक्ट्रानिक सेवा अदायगी संभव हो सके:– (i) आर्थिक कार्यकलापों से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण, (ii) कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवाएं, भंडारण और वेयरहाउसिंग (iii) साधन संपन्न मोबाइल स्वास्थ्य इकाई (iv) विद्यालय – उच्च शिक्षा सुविधाओं में उन्नयन (v) स्वच्छता (vi) पाइप द्वारा जल आपूर्ति की सुविधा (vii) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (viii) विलेज स्ट्रीट एवं ड्रेन्स् (ix) स्ट्रीट लाइट्स (x) गांवों के बीच सड़क संपर्कता (xi) सार्वजनिक परिवहन (xii) एलपीजी गैस कनेक्शन (xiii) डिजिटल साक्षरता (xiv) नागरिक सेवा केंद्र।

सूचीबद्ध किए गए 14 घटकों में से सर्वाधिक अभीष्ट घटक जानने के लिए प्रत्येक घटकों के संबंध में क्लस्टर में उसकी मौजूदा स्थिति को समझना महत्वपूर्ण है। नीचे दी गई सारणी में दिए गए टेंपलेट के अनुसार प्रोफाइल तैयार किए जाने का कार्य किया जाए।

7.0 चरण 4 : कमियों का विश्लेषण एवं जरूरतों का निर्धारण

7.1 इस चरण में क्लस्टर की आर्थिक प्रोफाइल से संबंधित एक व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन का उद्देश्य क्षेत्र के आर्थिक विकास, मुख्य, आर्थिक विकास संचालकों के निर्धारण, क्लस्टर की आधारभूत क्षमता का मूल्यांकन और क्लस्टर के आर्थिक विकास के लिए संभावनाओं के निर्धारण संबंधी कारणों को समझना है। यह कार्य क्लस्टर स्तर तक ही सीमित नहीं होगा और इसमें ब्लॉक और जिला स्तरों पर आर्थिक मूल्याकनों को शामिल किया जाएगा। उपर्युक्त मूल्यांकन में एसएनए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपोर्चुन्युटीज, ट्रीट्स (एसडब्यूओटी) फ्रेमवर्क का उपयोग कर सकते हैं। यह मूल्यांकन क्लस्टर के लिए मुख्य् आर्थिक संचालकों का निर्धारण करेगा जो इन आर्थिक संचालकों की मदद करने/पोषित करने के लिए सामाजिक–आर्थिक एवं अवसंरचनागत घटकों से संबंधित पहलुओं के निर्धारण के लिए आधार तैयार कर सकता है।

7.2 14 अभीष्ट घटकों/किन्ही अन्य 'घटकों के संदर्भ में मौजूदा स्थिरति का प्रोफाइल तैयार करने के बाद क्लस्टर में इनमें से प्रत्योक' घटक की कमियों का सारणी में दिए गए टेंपलेट के अनुसार निर्धारित मानदंड के संदर्भ में निर्धारण किया जा सकता है।

8.0 चरण 5 : मिशन घटकों का निर्धारण और उनका ब्यौरा - स्टेकहोल्डरों से परामर्श

8.1 आर्थिक प्रोफाइल तथा कमियों एवं जरूरतों के विश्लेषण के आधार पर अगले चरण में क्लस्टर के लिए एक विजन तैयार करना है। यह दृष्टिकोण विभिन्न स्तरों पर स्टेकहोल्डरों अर्थात पीआरआई/जिला/राज्य–स्तरीय कर्मियों के साथ परामर्श करके जरूरतों और आर्थिक मूल्यांकन के साथ–साथ क्लस्टर के लिए वैध माना जाएगा।

8.2 क्लस्टर के लिए विजन तैयार करने के क्रम में परियोजना घटकों का निर्धारण किया जाएगा जो कि विजन में मदद करेंगे। परियोजना के घटक पर्याप्त रूप से मिशन के 14 अभिष्ट घटकों को कवर कर सकेंगे। एसएनए 14 अभिष्टि घटकों के अलावा विशिष्ट घटकों का निर्धारण कर सकते हैं और क्लस्टर की आवश्यकताओं एवं विकास विजन के आधार पर विकास परक कार्यनीति में उन्हें शामिल कर सकता हैं।

8.3 अधिमानतः एसएनए मिशन घटकों पर सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करने के लिए एसएलईसी को प्रेजेंटेशन भेज सकती है।

सारणी ६: घटक की रूप-रेखा

	वांछनीय घटक	मौजूदा स्थिति
1	आर्थिक कार्यकलापों से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण	ग्राम पंचायत में मौजूदा कौशल (हस्तशिल्प/हथकरघा/औद्योगिक आदि) परिवार स्तर पर दक्ष सदस्य
2	कृषि–सेवाएं और प्रसंस्करण	क्लस्टर में मौजूदा कृषि–सेवा और प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा
3	डिजिटल साक्षरता	परिवार एवं ग्रामीण स्तर पर कोर सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना सहित सामान्य डिजिटल साक्षरता स्तरों के संबंध में मौजूदा स्तरों का उल्लेख किया गया
4	हर समय (24X7) पाइप द्वारा जलापूर्ति	परिवार स्तर पर जल आपूर्ति के मौजूदा स्तर
5	स्वच्छता	ग्राम पंचायत में परिवार स्तर पर वैयक्तिक शौचालय की कवरेज
6	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	परिवार/ग्रामीण एवं क्लस्टर स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मौजूदा व्यवस्था
7	नालियों युक्त गांव की गलियां की मौजूदगी	नालियों युक्त गांव की गलियां की मौजूदा कवरेज
8	विलेज स्ट्रीट लाइट्स	स्ट्रीट लाइट्स सहित मौजूदा ग्राम पंचायत स्ट्रीट की कवरेज
9	स्वास्थ्य	परिवार एवं ग्रामीण स्तर पर क्लीनिक एवं स्वास्थ्य केंद्रों की मौजूदगी
10	प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन	क्लस्टर में मौजूद प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या और मौजूदा स्थिति
11	गांवों के बीच सड़क संपर्कता	क्लस्टर में ग्राम पंचायतों के बीच सड़क संपर्कता एवं सार्वजनिक परिवहन
12	नागरिक सेवा केंद्र	ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद नागरिक सेवा केंद्रों की संख्या
13	सार्वजनिक परिवहन	ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता का मौजूदा स्तर
14	एलपीजी गैस कनेक्शन	परिवार स्तर पर एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता (एलपीजी कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या)

स्रोतः संबंधित योजना डाटा बेस/ग्राम पंचायत के रिकार्ड/भारत की जनगणना/अन्य विश्वसनीय स्रोत।

8.4 इसके बाद ही प्रत्येक घटक में आशयित स्तरों और प्रत्येक की अन्तिम लागत के संबंध में चुने गए घटकों का ब्यौरा देना होगा।

9.0 चरण 6 : योजना में अभिसरण

9.1 क्लस्टर के लिए वांछनीय घटकों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अगला चरण संभावित योजनाओं का निर्धारण करना है, ताकि प्रत्येक घटक के लिए अभिसरण किया जा सके। मौजूदा केंद्रीय प्रायोजित, केंद्रीय क्षेत्र, राज्य सरकार की योजनाओं के साथ प्रत्येक निर्धारित मिशन घटक का पता लगाए जाने की आवश्यकता है, ताकि चरण 5 में आवश्यक कुल अनुमानित लागत को पूरा करने के लिए रुर्बन मिशन में योजना संबंधी अभिसरण सिद्धांत के अनुसार निधियों के साथ अभिसरण बिठाया जा सके।

9.2 अभिसरण के लिए विचार किए जाने वाले संभावित केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा कार्यान्वयन के फ्रेमवर्क के अनुबंध–। में दिया गया है, संदर्भ के लिए इसके बारे में निम्नलिखित तालिका में भी विस्तार से बताया गया है। भारत सरकार की उल्लिखित योजनाओं के अलावा, राज्य में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही राज्य सरकार की अनेक योजनाओं का भी संभावित अभिसरण के लिए निर्धारण किया जा सकता है।

सारणी ७: क्लस्टर के लिए आवश्यकताओं के विश्लेषण एवं निर्धारण में कमी

क		ख	ग	घ = ग–ख
क्र. सं.	वांछनीय घटक	मौजूदा स्थिति	वांछनीय स्तर	कमी/आवश्यकता
1	आर्थिक कार्यकलापों से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण	गांवों में मौजूदा कौशल (हस्तशिल्प/हथकरघा/औद्योगिक आदि) परिवार स्तर पर दक्ष सदस्यों की संख्या	कम से कम 70% परिवारों में प्रत्येक परिवार से एक लाभार्थी	क्षेत्र के संबंध में प्रशिक्षण और उम्र के हिसाब से प्रशिक्षण दिए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है।
2	कृषि–सेवाएं और प्रसंस्करण	क्लस्टर में वर्तमान मं मौजूदा कृषि–सेवा और प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा (भंडारण संबंधी अवसंरचना सहित)		किसी भी कृषि आधारित सेवा/उद्योगों को सहायता का निर्धारण करना/भंडारण संबंधी अवसंरचना
3	डिजिटल साक्षरता	पारिवारिक एवं ग्राम स्तर पर कोर सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना सहित सामान्य डिजिटल साक्षरता स्तरों के संबंध में मौजूदा स्तरों का उल्लेख किया गया	प्रत्येक परिवार में कम से कम एक ई–साक्षर व्यक्ति	क्लस्टर के अंतर्गत जिन लोगों को डिजीटली साक्षर बनाया जाना है, उनकी संख्या का निर्धारण करना।
4	हर समय (24x7) पाइप द्वारा जलापूर्ति	परिवार स्तर पर जल आपूर्ति के मौजूदा स्तर	वर्षभर प्रत्येक परिवार को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) स्वच्छ पेयजल	परिवार स्तर पर संवर्धित आवश्कताओं और संवर्धित स्रोत/संचरण/वितरण के प्रकार का निर्धारण करना।
5	स्वच्छता	गांवों में परिवार स्तर पर व्यक्तिक शौचालय की कवरेज	शत–प्रतिशत परिवारों में व्यक्तिक पारिवारिक शौचालय	उन परिवारों की संख्या का निर्धारण करना जिन्हें व्यक्तिक शौचालय के साथ कवर किया जाना है।
6	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	पारिवारिक/ग्रामीण एवं क्लस्टर स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मौजूदा व्यवस्था	परिवार स्तर पर संग्रहण क्लस्टर स्तर पर ट्रीटमेंट	संग्रहण/परिवहन/ट्रीटमेंट स्तर पर एसडब्यूएम सुविधाओं का निर्धारण करना।
7	नालियों युक्त गांव की गलियां की मौजूदगी	नालियों युक्त गांव की गलियां की मौजूदा कवरेज	गांव की सभी गलियों में नालियों का बनाया जाना	नालियों के साथ कवर की जाने वाली गलियों की लंबाई का निर्धारण करना
8	विलेज स्ट्रीट लाइट्स	लाइटों से गांव की गलियों की कवरेज	मानकों के अनुसार गांव की सभी गलियों को स्ट्रीट लाइट के साथ कवर किया जाना।	उपलब्ध् कराई जाने वाली स्ट्रीट लाइट की संख्या का निर्धारण करना।
9	स्वास्थ्य	परिवार एवं ग्रामीण स्तर पर क्लीनिक एवं स्वास्थ्य केंद्रों की मौजूदगी	मानकों के अनुसार स्वास्थ्य अवसंरचना की मौजूदगी	मोबाइल हेल्थ यूनिट की आवश्यकता का निर्धारण करना
10	प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन	क्लस्टर में मौजूद प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या और मौजूदा स्थिति	सभी बसावटों से उचित दूरी पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का प्रावधान सुनिश्चित करना, जिसमें पेयजल सुविधा, शौचालय ब्लॉकों (बालक और बालिकाओं के लिए अलग–अलग) और पर्याप्त कक्षाओं का प्रावधान हो।	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में आवश्याकताओं/नई सुविधाओं के उन्नयन का निर्धारण करना।
11	गांवों के बीच सड़क संपर्कता	क्लस्टर में गांवों के बीच सड़क संपर्कता एवं सार्वजनिक परिवहन	सभी गांवों के बीच सड़क संपर्कता सुनिश्चित करना	गांवों के बीच नई सड़क संपर्कता का निर्धारण करना।
12	नागरिक सेवा केंद्र	ग्राम स्तर पर मौजूदा नागरिक सेवा केंद्रों की संख्या	2 से 3 गांवों में एक आईसीटी युक्त फ्रंट एंड साझा सुविधा केंद्र (सीएससी)।	क्लस्टर के लिए आवश्यक सीएससी की संख्या का निर्धारण करना।
13	सार्वजनिक परिवहन	ग्राम के अंदर और बाहर सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता का मौजूदा स्तर	ब्लॉक से लेकर प्रत्येक गांव तक सार्वजनिक परिवहन	प्रत्येतक गांव में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यककता।
14	एलपीजी गैस कनेक्शन	परिवार स्तर पर एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता।	प्रति गांव या 1800 परिवारों के अनुसार एक एलपीजी वितरण केंद्र	क्लस्टर में अतिरिक्त वितरण केंद्रों की आवश्यकता।

सारणी ८: रुर्बन क्लस्टर में वांछनीय घटकों के लिए संभावित अभिसरण हेतु केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की निर्देशात्मक सूची

क्रम संख्या	वांछनीय घटक	वांछनीय परिणाम	अभिसरण के लिए संभावित योजना	
			नाम	सार
1	आर्थिक कार्यकलापों से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण	कम से कम 70% परिवारों में प्रत्येक परिवार से एक लाभार्थी	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई)	ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का कार्यान्वयन करता है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः– 1) परिणाम आधारित डिजाइन, 2) कम से कम 75% प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को गांरटीयुक्त रोजगार, 3) प्रशिक्षण से कैरियर उन्नयन पर जोर देना, 4) कृषि से फैक्टरी ट्रानजिशन के लिए रोजगारोपरांत सहायता, प्रवासन सहायता और पूर्व प्रशिक्षुओं से संबंधित नेटवर्क, 5) औद्योगिक इंटर्नशिप, 6) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग पर आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, 7) विशेष क्षेत्रीय केंद्र– जम्मू और कश्मीर (हिमायत) और 9 राज्यों में वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सबसे अधिक प्रभावित 27 जिलों (रोशनी) के लिए उप–योजनाएं।
2	(i) कृषि–सेवाएं और प्रसंस्करण	आरकेवीवाई के अनुसार कृषि और संबंधित कार्यकलाप घटकों की सहायता	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का उद्देश्य राज्यों को प्रोत्साहन देना है ताकि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की जा सके। संबंधित जिलों में कृषि–जलवायु परिवर्तन संबंधी परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधनों और विभिन्न फसलों को ध्यान में रखते हुए कृषि और संबंधित क्षेत्र योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यह योजना राज्यों को योजनाएं तैयार करने के लिए स्वायतता प्रदान करती है। जिन घटकों के लिए यह योजना सहायता उपलब्ध कराती है उनमें ये शामिल हैं– कृषि (बागवानी सहित), पशुपालन और मत्स्य पालन, डेरी विकास, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, वन एवं वन्य जीवन, वृक्षारोपण एवं कृषि विपणन, खाद्य भण्डारण एवं वेयरहाउसिंग, मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि संबंधी वित्तीय संस्थाएं, अन्य कृषि संबंधी कार्यक्रम एवं सहयोग और कृषि के विकास से प्रत्यक्षतः संबंधित व्यय यथा–उथले ट्यूबवेल, गहरे ट्यूबवेल, ड्रिप सिंचाई, छिड़काव वाली सिंचाई, डगवेल अथवा अन्य इसी प्रकार के सिंचाई कार्यकलाप जिनका वित्त पोषण राज्य के कृषि विभाग के तहत होता है।
	(ii) कृषि सेवाएं और कृषि उत्पादकता	पीएमकेएसवाई के अनुसार आदि से अन्त तक सिंचाई आपूर्ति कड़ी के तहत घटकों को सहायता	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि तथा सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का उद्देश्य देशभर में सभी कृषि क्षेत्रों को संरक्षित सिंचाई सुनिश्चित कराना है ताकि 'प्रति बूंद अधिक फसल' उत्पन्न की जा सके और इस प्रकार अधिकतम वांछित ग्रामीण समृद्धि लाई जा सके। पीएमकेएसवाई में सप्लाई आपूर्ति कड़ी के पूर्ण समाधान यथा–जल स्रोत, संवितरण नेटवर्क, सक्षम कृषि स्तरीय अनुपयोगों, नई प्रौद्योगिकिओं संबंधी विस्तारित सेवाओं और सूचनाओं आदि पर ध्यान दिया जाएगा।
	(iii) कृषि सेवाएं	पीकेवीवाई के तहत निर्धारित जैविक कृषि क्लस्टर को सहायता	परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) द्वारा जैविक खेती को सहायता और बढ़ावा देने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है। पीकेवीवाई के तहत क्लस्टर अप्रोच और भागीदारीपूर्ण गारंटी प्रणाली (पीजीएस) प्रमाणन के द्वारा जैविक गांव को गोद लेने पर जैविक खेती को बढावा मिलता है। पीकेवीवाई के तहत 5.0 लाख एकड़ जैविक कृषि क्षेत्रों को कवर करते हुए 3 वर्षों में 10,000 क्लस्टरों को बीज और परिवहन सुविधाओं के लिए 20,000 रूपए प्रति एकड़ प्रति किसान उपलब्ध कराकर विकसित किया जाना है।
3	डिजिटल साक्षरता (सभी नागरिकों के लिए डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता)	प्रत्येक परिवार में कम से कम एक ई–साक्षर व्यक्ति	डिजिटल इंडिया	सर्वसाधारण डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करना डिजिटल इंडिया मिशन के घटकों में से एक है जिसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकीयों का पूर्ण उपयोग करने के लिए नागरिकों को सक्षम बनाना है ताकि वे अपने आपको सशक्त बना सकें। इससे उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर पाने और आर्थिक रूप से सुरक्षित होने में सहायता मिलती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सीएससी, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएम) जैसी तैयार की गई कोर आईसीटी अवसंरचनाओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को ई–साक्षर बनाना है और डिजिटल इंडिया मानकों के अनुसार ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से 2,50,000 ग्राम पंचायतों को 100 मेगाबाइट प्रति सेकेंड उपलब्ध कराते हुए राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकस एंव सूचना प्राद्योगिकी संसाधन (एनआईईएलआईटी) द्वारा 5000 सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने हैं।

क्रम संख्या	वांछनीय घटक	वांछनीय परिणाम	अभिसरण के लिए संभावित योजना	
			नाम	सार
4	हर समय (24x7) पाइप द्वारा जलापूर्ति	वर्षभर प्रत्येक परिवार को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) स्वच्छ पेयजल	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीड्ब्ल्यूपी)	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कार्यान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय करता है और इस योजना का उद्देश्य परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति का प्रावधान करना है ताकि स्थाई पेयजल योजनाएं और सभी जल संरक्षण कार्यक्रमों का अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक देशभर में प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को अपने परिवार में अथवा सामाजिक या वित्तीय भेदभाव वाली रूकावट के बिना समतल या ऊँचांई वाली 50 मीटर तक की दूरी के अंदर 70 एलपीसीडी जल उपलब्ध कराना है। अलग–अलग राज्य 100 एलपीसीडी जैसे अधिक मात्रा वाले मानक लागू कर सकते हैं।
5	स्वच्छता	शत–प्रतिशत परिवारों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय	स्वच्छ भारत मिशन / ग्रामीण	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एसबीएम(जी) का कार्यान्वयन इन उद्देश्यों के साथ करता हैः– 1) सर्वत्र स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर जोर देने के लिए प्रयासों में गति लाना, 2) यह मिशन ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यकलापों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के स्तरों में सुधार के प्रयास करता है और 3) ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ), स्वच्छ और संवेदनशील बनाना।
6	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	सभी परिवारों के अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ठोस अपशिष्ट इकट्ठा करना माध्यमिक परिवहन		
7	ठोस अपशिष्ट ट्रीटमेंट / वर्मी कम्पोस्ट पिट	वर्मी कम्पोस्टिंग प्लांट प्रति 2500 व्यक्ति / तरल अपशिष्ट यूनिट (एसबीएम–जी) के दिशा–निर्देश के अनुसार		
8	गांव की नालियों सहित गलियां	सभी गांवों में नालियों बनाना	केंद्र एवं राज्य सरकार की लागू योजनाएं	इस उप घटक के तहत डिजाइन का उद्देश्य गांवों में तेजी से जलनिकासी वाली पर्याप्त नालियों के साथ बारहमासी पक्की गलियां उपलब्ध कराना है। यह तेजी से जलनिकासी वाली नालियां सीवर नेटवर्क से अलग होनी चाहिए।
9	स्ट्रीट लाइट्स	सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था करना	केंद्र एवं राज्य सरकार की लागू योजनाएं	इस उप घटक के तहत डिजाइन का उद्देश्य गांवों की गलियों में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और सुरक्षित संरेखण डिजाइन उपलब्ध कराना है। संबंधित मानकों के तहत निर्धारित अंतराल पर सोलर स्ट्रीट लाइट को वरीयता दी जाएगी।
10	पूर्णरूप से उपकरण युक्त मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट	एनएचएम मानकों के अनुसार मोबाइल यूनिट	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)– ग्रामीण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं पहुँचाने के लिए मोबाइल मेडीकल यूनिट (एमएमयू) का प्रावधान है। इसका तात्पर्य रोगियों को लाने–लेजाने से नहीं है। अलग–अलग राज्यों में एमएमयू में एक / दो अथवा तीन वाहन हो सकते हैं। जहां कहीं भी एक से अधिक वाहन हो तो– 1) एक वाहन का उपयोग मेडीकल और पैरा–मेडीकल कर्मियों को ले जाने के लिए किया जाता है, 2) दूसरे वाहन का उपयोग उपकरण / सहायक उपकरण तथा प्रयोगशाला संबंधी सुविधाओं के लिए किया जाता है, 3) तीसरे वाहन का उपयोग एक्स–रे, अल्ट्रासाउंड. ईसीजी मशीन और जनरेटर जैसे डाएग्नोस्टिक उपकरणों के लिए होता है। प्रत्येक यूनिट में एक डॉक्टर, एक नर्स, एक रेडियोलोजिस्ट, एक लैब अटेंडेंट, एक फॉर्मासिस्ट और एक सहायक एवं ड्राइवर होता है। यूनिट में दवाईयों का प्रावधान होता है।

क्रम संख्या	वांछनीय घटक	वांछनीय परिणाम	अभिसरण के लिए संभावित योजना	
			नाम	सार
11	प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन	पेयजल की सुविधाओं के साथ सभी बसावटों से उचित दूरी पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का प्रावधान, शौचालय ब्लॉकों (बालक और बालिकाओं के लिए अलग–अलग) और पर्याप्त कक्षाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना।	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)।	मानव संसाधन विकास मंत्रालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का कार्यान्वयन करता है। आरएमएसए का उद्देश्य वर्ष 2017 तक माध्यमिक स्तरीय शिक्षा के लिए निर्धारित मानकों और सर्वत्र पहुँच के अनुपालन में सभी माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके अलावा राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान मिशन मोड में क्रियान्वित की जाने वाली एक शीर्षस्थ योजना है जिसमें इस क्षेत्र की अन्य मौजूदा योजनाएं समाविष्ट हो जाएगीं। मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों के उन्नयन और क्लस्टर में कॉलेजों मे परिवर्तन सहित 18 घटकों के लिए राज्यों को इस कार्यक्रम से वित्त पोषण प्राप्त होता है।
12	(i) गांवों के बीच सड़क संपर्कता	सभी गांवों के बीच सड़क संपर्कता सुनिश्चित करना	सड़क संपर्कता के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन करता है। पीएमजीएसवाई का उद्देश्य ये उपलब्ध कराना है– 1) सड़क मार्ग से न जुड़ी बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना, 2) सड़क मार्ग से न जुड़ी बसावटों को ऐसी सेवाएं (शैक्षणिक, स्वास्थ्य, विपणन सुविधाएं आदि) उपलब्ध कराना जो यहां उपलब्ध नहीं है।
	(ii) सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था	प्रत्येक ब्लॉक से सबसे नजदीक के शहरी केंद्र तक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था करना।	राज्य सरकार की लागू योजनाएं	इस घटक की डिजाइन का उद्देश्य आर्थिक महत्व और क्लस्टर के गांव के साथ प्रत्येक ब्लॉक, गांव से सबसे नजदीकी शहरी केंद्र तक सार्वजनिक परिवहन संपर्कता उपलब्ध कराना है। सार्वजनिक परिवहन की व्यहवस्था राज्य परिवहन एजेंसियों के माध्यम से की जानी चाहिए या निजी ऑपरेटरों को मार्गों का लाइसेंस देकर ताकि वे बसों या सार्वजनिक परिवहन की मध्यवर्ती व्यवस्थां कर सके।
13	नागरिक केंद्रित सेवाएं/ई–ग्राम संपर्कता संबंधी इलेक्ट्रोनिक सेवा प्रदायिगी के लिए नागरिक सेवा केंद्र	प्रत्येक दो से तीन गांवों के लिए एक आईसीटी आधारित लाभार्थियों के प्रयोग हेतु सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी)	डिजिटल इंडिया मिशन	डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) घटक का कार्यान्वयन डीईआईटीवाई द्वारा तैयार की गई एनईजीपी के तहत किया जाता है। सीएससी ग्राम स्तर पर आईसीटी आधारित लाभार्थियों के प्रयोग हेतु कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग, बीमा, पेंशन, उपयोगी भुगतानों आदि क्षेत्रों में सरकारी, वित्तीय, सामाजिक और निजी क्षेत्र की सेवाओं की सेवा अदायगी के बिंदु (कीओस्क्स) होते हैं। सीएससी का प्रचालन सरकारी–निजी–भागीदारी (पीपीपी) मॉडल और त्रिस्तरीय अवसंरचना जिसमें सीएससी प्रचालक (वो व्यक्ति जिसे ग्राम स्तरीय उद्यमी अथवा वीएलई के नाम से जाना जाता है) शामिल होता है, के बीच होता है। सीएससी के प्रस्तावित 2.0 कार्यक्रम के तहत नागरिकों के लिए सीएससी की आसानी से सुविधा पाने के लिए सीएससी की संख्या को 2,50,000 (सभी पंचायतों को कवर करने के लिए) तक बढ़ाने की योजना है।
14	एलपीजी गैस कनेक्शन/ विकसित चूल्हे	एक एलपीजी रिटेल आउटलेट प्रति गावं अथवा प्रति 1800 परिवार	राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण (आरजीजीएलवी)	राजीव गांधी ग्रामीण वितरण योजना (आरजीजीएलवी) में नए एलपीजी कनेक्शन के लिए बीपीएल श्रेणी के व्यक्तियों के लिए एकबारगी वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत सिक्योरिटी डिपोजिट और प्रेशर रेगुलेटर की लागत (वर्तमान में 1450+150=1600) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की निधियों से पूरी की जाती है। इन कंपनियों को 6 मुख्य ऑयल कंपनियों को यथा–ओएनजीसी, ऑयल, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की निधियों के योगदान से इस प्रयोजनार्थ सृजित किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी) स्थापित करने के लिए स्थानों का निर्धारण मोटे तौर पर 14.2 कि.ग्रा. वाले 600 एलपीजी सिलेंडरों की औसत मासिक बिक्री की संभावना और लगभग 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग करने वाले 1800 उपभोक्ताओं के आधार पर किया जाता है।

स्रोतः संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट

10.0 चरण 7 : निवेश एवं चरण

10.1 वृद्धि के लिए अनुमानित वर्ष–वार लागत आवश्यकताओं के आधार पर 3 वर्ष की निर्माण अवधि में घटकों एवं निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया जाएगा। चरण–वार निवेश पूरा करने के लिए निम्नलिखित टेम्प्लेट का अनुपालन किया जाए:

सारणी ९: क्लस्टर के लिए चरण-वार निवेश

परियोजना घटक		योजनाओं का नाम जिनके साथ अभिसरण किया गया	आवश्यक निवेश (क) (रु. लाख में)	निर्माण अवधि के दौरान चरणवार निवेश		
				वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3
1						
2						

11.0 चरण 8 : सीजीएफ आकलन तैयार करना

11.1 अनुमानित निवेश आवश्यकताओं और अभिसरण के माध्यम से संसाधनों का निर्धारण करने के आधार पर, शेष राशि मिशन के तहत आवश्यक पूरक वित्तपोषण राशि होगी। तथापि मिशन फ्रेमवर्क के अनुसार परियोजना पूंजी व्यय का 30 प्रतिशत या 30 करोड़ रु., मैदानी क्षेत्रों के लिए जो भी कम हो, वह राशि निर्धारित की जाएगी। मरुभूमि, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए परियोजना पूंजी व्यय का 30 प्रतिशत या 15 करोड़ रु., जो भी कम हो, उसके अनुसार सीजीएफ निर्धारित किया जाएगा। उपर्युक्त चरण–7 में अनुमानित किए गए कुल आवश्यक निवेश, अभिसरण के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले संसाधनों और मानकों के अनुसार अधिकतम शेष सीजीएफ राशि का ब्यौरा नीचे दिए गए टेम्प्लेट में दर्शाया गया है।

11.2 सीजीएफ के तहत वित्तपोषण किए जाने के लिए परियोजना के उप–घटकों का स्पष्ट निर्धारण उपयुक्त कार्य के भाग के रूप में किया जाएगा।

परियोजना घटक	योजनाओं का नाम जिनके साथ अभिसरण किया गया	आवश्यक निवेश (रु. लाख में) (क)	योजना के माध्यम से उपलब्ध वित्त पोषण (रु. लाख में)				वित्त पोषण में अंतरद्य (ग=क–ख)	वित्त पोषण में अंतर के लिए निर्धारित किए गए परियोजना उप घटक
			भारत सरकार की हिस्सेदारी	राज्य सरकार की हिस्सेदारी	लाभार्थी की हिस्सेदारी यदि कोई है तो	कुल उपलब्ध वित्त पोषण (ख)		
1								
कुल		**आवश्यक निवेश**	भारत सरकार की कुल हिस्सेदारी	राज्य सरकार की कुल हिस्सेदारी	लाभार्थी की कुल हिस्सेदारी	**कुल उपलब्ध वित्त पोषण**	**कुल अंतर**	

12.0 चरण 9 : क्रियान्वयन संबंधी कार्यनीति

12.1 अगला चरण मिशन के लिए कार्यान्वनयन संबंधी तौर तरीकों का निर्धारण करना है जिनमें व्यापक रूप से निम्नलिखित को शामिल किया जाए:

पूंजीगत कार्य

क) राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा परियोजना के सभी घटकों का कार्यान्वयन।

ख) पीपीपी के माध्यम से कार्यान्वयन।

कार्यान्वयन कार्यनीति में आवश्यक होगा कि प्रत्येक परियोजना घटक का कार्यान्वयन करने के लिए कार्यनीति का ब्यौरा दिया जाए। कार्यान्वयन के दौरान किए गए मुख्य कार्यों का निर्धारण करने की आवश्यकता होगी और घटकवार बार–चार्ट में उनका ब्यौरा दिया जाएगा। क्लस्टर के लिए व्यापक निर्माण कार्यक्रम संबंधी बार–चार्ट के रूप में इन घटकवार बार–चार्टों का अंतिम रूप से समेकन किया जाएगा।

परियोजना घटक	कार्यान्वयन एजेंसी/निष्पादन करने वाले जिम्मेदार अधिकारी	कार्यान्वयन संबंधी मुख्य उपलब्धियां					
		डीपीआर तैयार करना	डीपीआर की स्वीकृति	निविदा दस्तावेज तैयार करना	बोली के लिए आमंत्रित करने वाला नोटिस	ठेकेदार की नियुक्ति	निर्माण कार्य शुरू करना

परियोजना घटक	कार्यान्वयन एजेंसी/निष्पादन के लिए जिम्मेदार अधिकारी/ठेकेदार का नाम	निर्माण कार्य शुरू करना	निर्माण संबंधी मुख्य उपलब्धी			
			कार्यस्थल पर 30 प्रतिशत कार्यकलापों का समापन	कार्यस्थल पर 60 प्रतिशत कार्यकलापों का समापन	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना	परियोजना घटक शुरू करना

निर्माण समय सीमा के भीतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यान्वयन एजेंसियों और अभिसरण कार्यनीतियों का निर्धारण कार्यान्वयन कार्यनीति में किया जाएगा। कार्य स्थल पर निर्माण कार्यकलाप शुरू करने तक कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के निर्देशात्मक टेम्प्लेट इस प्रकार हैं। इस फ्रेमवर्क से महत्वपूर्ण टेम्प्लेट तैयार किए जाते हैं ताकि प्रत्येक योजना के अनुसार सभी कार्यकलापों की शुरूआत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकलापों में समन्वय किया जा सके। निर्धारित समय–सीमा के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों के निष्पादन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का निर्धारण भी इस कार्यान्वयन कार्यनीति में किया जाएगा।

इस कार्यान्वयन कार्यनीति से क्लस्टर में किए जाने वाले निर्माण कार्य की निगरानी करने के लिए मुख्य कार्यों का भी निर्धारण किया जा सकेगा। परियोजना घटकों के लिए निर्माण बार–चार्टों से इन मुख्य कार्यों का निर्धारण किया जाएगा। मुख्य कार्यों की निगरानी करने के लिए टेम्प्लेट (उपर दिये गय है) इस प्रकार है।

उपयुक्त ब्यौरे के साथ उपर्युक्त टेम्प्लेट तैयार किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिला परियोजना प्रबंधन एक (डीपीएमयू) और क्लस्टर विकास एवं प्रबंधन एक (सीडीएमयू) प्रभावी परियोजना समन्वय एवं निगरानी कर सकते हैं। उपर्युक्त चार्ट परिवर्तनशील दस्तावेज होंगे और कार्यान्वयन चरण के दौरान सीडीएमयू क्लस्टर स्तर पर परियोजना घटकों के कार्यान्वेयन की प्रगति के आधार पर इनका नियमित रूप से अद्यतन करेगा। एसएनए आवश्यकता के अनुसार आगे के कार्यान्वयन संबंधी समन्वय एवं निगरानी संबंधी फ्रेमवर्क का सुझाव दे सकता है।

13.0 चरण 10 : संचालन एवं रख-रखाव संबंधी कार्यनीति

13.1 अगला चरण मिशन के तहत सृजित की जा रही वैयक्तिक परिसम्पत्तियों के लिए संचालन एवं रख–रखाव संबंधी कार्यनीति का निर्धारण करना है। व्यायक रूप से संचालन एवं रख–रखाव संबंधी कार्य नीति निम्नलिखित में से एक हो सकती है:–

- ग्राम पंचायतों, राज्य सरकार एजेंसियों या प्राइवेट पार्टनर द्वारा संचालन एवं रख–रखाव।
- निजी क्षेत्र के संचालकों के साथ कम्बाइंड यूटिलिटीज मैनेजमेंट कान्ट्रैक्ट के अनुसार जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे परियोजना घटकों का संचालन एवं रख–रखाव।

मंत्रालय घटकों के निर्धारण में राज्या सरकार की मदद करने के लिए अलग से दिशा–निर्देश जारी करेगा जिन्होंने पीपीपी मोड के माध्यम से शुरू किया जा सकता है। पीपीपी के मानक मॉड्यूल को तैयार किए जाएंगे और राज्य सरकार इन मानक मॉड्यूल को अपना सकती है।

परियोजना घटक	ओ एंड एम एजेंसी	वार्षिक ओ एंड एम व्यय	ओ एंड एम निधियों के स्रोत			ओ एंड एम व्यय की रिकवरी में कमी	ओ एंड एम कार्यनीति से संबंधित टिप्पणी
			यूजर चार्जेस	14वां वित्त आयोग / अनुदान	कुल स्रोत		

राज्य में यूजर चार्जेस पॉलिसी के साथ–साथ राज्य बजट में हुई कमियों के अनुसार यूजर चार्जेस के माध्यम से परियोजना के परिचालन एवं रख–रखाव व्यय को रिकवर किया जाएगा।

मुख्य पहलुओं को कवर करते हुए ओ एंड एम कार्यनीति से संबंधित संक्षेप विवरण तैयार किया जाएगा, संक्षेप विवरण इस प्रकार है।

14.0 चरण 11 : ग्राम सभा से संकल्प प्राप्त करना

14.1 एक बार जब आईसीएपी के चरण 1–10 पूरे कर लिए जाते हैं तो सभी स्तरों पर व्यापक रूप से स्टीकहोल्डरों के परामर्श की आवश्यकता होगी। एक बार स्टेरकहोल्डर की जब आईसीएपी पर सहमति हो जाती है तो ग्राम सभा के संकल्प प्राप्त किए जाने और आईसीएपी के साथ जोड़े जाने की आवश्याकता होगी।

15.0 चरण 12 : ग्रामीण विकास मंत्रालय को इंफ्रा आईसीएपी प्रस्तुत किया जाना

15.1 आयोजना क्षेत्र के रूप में क्लस्टर की प्रारूप अधिसूचना सहित ग्राम सभा के संकल्पो और अंतिम रूप से पूरी की गई आईसीएपी एसएनए द्वारा एसएलईसी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निर्धारित टेम्प्लेट के अनुसार इंफ्रा आईसीएपी को आईसीएपी की संक्षेप शीट के साथ लगाए जाने की आवश्यकता होगी। एक बार आईसीएपी पर एसएलईसी की टिप्पणियां प्राप्त कर लिए जाने के बाद इन्हें उपर्युक्त रूप से समाहित करने की आवश्यकता होगी और इसके बाद भरे गए सीजीएफ आवेदन के साथ में एसएलईसी को भेजे जाएंगे और इसके बाद इन्हें मंत्रालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

15.2 आईसीएपी प्रस्तुत करते समय आयोजना क्षेत्र के रूप में क्लस्टर की घोषणा करने वाली प्रारूप अधिसूचना और क्लस्टर के लिए संबंधित राज्य अधिनियम के तहत मास्टर प्लान की तैयारी मंत्रालय में भी प्रस्तुत की जाएगी।

15.3 तब राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई आईसीएपी इसका मूल्यांकन करेगा और इसे विशेषज्ञ समूह के सामने समाशोधन एवं प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बाद में अधिकार प्राप्त समिति सीजीएफ आवेदन के साथ प्रमाणित आईसीएपी को ग्रामीण विकास मंत्रालय में स्वीकृति के लिए अंतिम रूप से रखेगी।

15.4 मंत्रालय की कार्योत्तर मंजूरी लेने के बाद सीजीएफ की पहली किस्त परियोजना के अगले चरणों का कार्यान्वयन करने के लिए एसएनए को रिलीज की जाएगी।

16.0 चरण 13 : अनुमोदित डीपीआर की लागत के आधार पर आईसीएपी में संशोधन

16.1 जब आईसीएपी तैयार हो जाती है, तब एसएनए क्लस्टर के वैयक्तिक परियोजना घटकों के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए प्रक्रिया अपनाएगा। बाद में योजना मानकों के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा डीपीआर की पुष्टि की जाएगी तथा अंत में एसएलईसी द्वारा इन्हें सत्यापित किया जाएगा। अंतिम रूप से तैयार की गई डीपीआर से अंतिम सीजीएफ की लागत पर प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें स्वीकृत डीपीआर में दिए गए वास्तविक अनुमानों के आधार पर दोहराया जाएगा।

16.2 इसके बाद संशोधित सीजीएफ गणना एसएलईसी की स्वीकृति लेने के लिए प्रस्तुत की जाएंगी। संशोधित सीजीएफ गणना मंत्रालय की स्वीकृति लेने के लिए प्रस्तुत की जाएंगी, जिसके बाद एसएनए को दूसरी किस्त रिलीज की जाएगी।

17.0 चरण 14 : प्रत्येक ५ वर्ष पर आईसीएपी की पुनरावृत्ति

17.1 आईसीएपी स्टैटिक दस्ताटवेज नहीं होते हैं, इन्हें क्लस्टरों में प्रगति और क्लस्टर की संशोधित आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष में दोहराया जाएगा। डीपीएमयू चरण 2 में अधिसूचना के माध्यम से शुरू की गई स्थानिक आयोजना प्रक्रिया की नियमित निगरानी करेगा और तदनुसार क्लस्टर की आवश्यकताओं तथा वांछनीय घटकों को दोहराया जा सकता है।

अनुबंध १ : आईसीएपी के स्थानिक आयोजना घटक की प्रक्रिया

रुर्बन क्लस्टर की स्थानिक आयोजना का उद्देश्य् आयोजना मानकों (राज्य शहर और कंट्री प्लानिंग एक्ट इसी प्रकार केंद्र या राज्य कानून में यथानिर्धारित, जो भी लागू हो) को अपनाते हुए सु–स्पष्ट लेआउट तैयार करना है, जिसे राज्यं/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विधिवत रूप से अधिसूचित किया जाएगा। जैसा भी मामला हो जिला योजना/मास्टर प्लान के साथ इन स्थानिक योजनाओं का समेकन अंतिम रूप से किया जाएगा।

राज्य में लागू मौजूदा आयोजना मानकों द्वारा स्थानिक आयोजना तैयार करने की प्रक्रिया संचालित की जाती है और जो अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग हो सकती है। मॉडल टाउन एवं कंट्री प्लानिंग एक्ट पर आधारित आयोजना प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण कुछ सांकेतिक चरण होते हैं। यूडीपीएफआई दिशा–निर्देशों या नेशनल बिल्डिंग कोड के उपर्युक्त ग्रामीण आयोजना मानकों के अनुसार आयोजना कार्य किया जाना चाहिए।

आपदा, बाढ़, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में इन आपदाओं के समय पर्याप्त सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त आयोजना मानको को लागू किया जाएगा।

स्थानिक आयोजना के अतिरिक्त आईसीएपी के इस घटक से आयोजना क्षेत्रों एवं निर्माण विनियमों को अधिसूचित किया जा सकेगा और रुर्बन क्लस्टर के लिए प्रवर्तन तंत्र शुरू किए जा सकेंगे।

मंत्रालय रुर्बन क्लस्टरों के लिए मॉडल आयोजना और भूमि उपयोग संबंधी विनियमकों और मॉडल निर्माण योजना विनियमकों को तैयार करके आईसीएपी के स्थानिक आयोजना घटक में सहायता करेगा। राज्य आयोजना प्राधिकरण इसे राज्य के संदर्भ में उपयुक्त रूप से परिवर्तित कर सकता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय मॉडल प्रवर्तन नियम एवं विनियम भी उपलब्ध कराएगा।

आरेख ७: स्थानिक आयोजना की चरण दर चरण प्रक्रिया

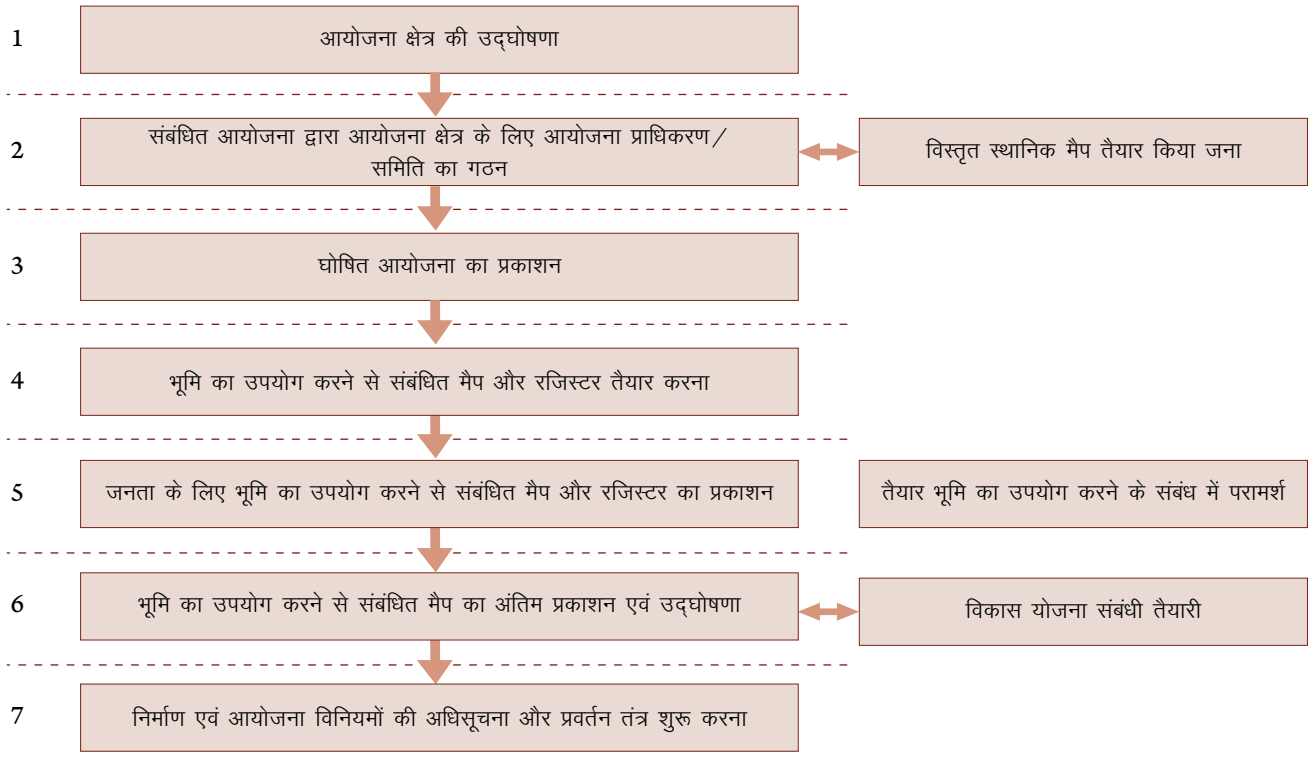

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार